शोध दिशा

ISSN 0975-735X

विश्वस्तरीय शोध-पत्रिका

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा से अनुदान प्राप्त

UGC APPROVED CARE LISTED JOURNAL

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता-प्राप्त शोध पत्रिका

शोध अंक 57 जनवरी-मार्च 2022 300.00 रुपए

संपादकीय कार्यालय

हिंदी साहित्य निकेतन, 16 साहित्य विहार,
बिजनौर 246701 (उ॰प्र॰)
फोन : 0124-4076565, 09557746346
ई-मेल : shodhdisha@gmail.com
वैब साइट : www.hindisahityaniketan.com

क्षेत्रीय कार्यालय

हरियाणा

डॉ॰ मीना अग्रवाल
ए-402, पार्क व्यू सिटी-2 सोहना रोड,
गुड़गाँव (हरियाणा)
फोन : 0124-4076565, 07838090237

दिल्ली एन॰सी॰आर॰

डॉ॰ अनुभूति
सी-106, शिवकला अपार्टमेंट्स
बी 9/11, सेक्टर 62, नोएडा
फोन : 09958070700

(सभी पद मानद एवं अवैतनिक हैं।)

संपादक
डॉ॰ गिरिराजशरण अग्रवाल
07838090732

प्रबंध संपादक
डॉ॰ मीना अग्रवाल

संयुक्त संपादक
डॉ॰ शंकर क्षेम
प्रमोद सागर

उपसंपादक
डॉ॰ अशोककुमार
डॉ॰ कनुप्रिया प्रचण्डिया

कला संपादक
गीतिका गोयल/ डॉ॰ अनुभूति

विधि परामर्शदाता
अनिलकुमार जैन, एडवोकेट

आर्थिक परामर्शदाता
ज्योतिकुमार अग्रवाल, सी॰ए॰

शुल्क

आजीवन (दस वर्ष): व्यक्तिगत : छह हजार रुपए
संस्थागत : छह हजार रुपए
वार्षिक शुल्क : आठ सौ रुपए
यह प्रति : तीन सौ रुपए

प्रकाशित सामग्री से संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है। पत्रिका से संबंधित सभी विवाद केवल बिजनौर स्थित न्यायालय के अधीन होंगे। शुल्क की राशि 'शोध दिशा' बिजनौर के नाम भेजें। (सन् 1989 से प्रकाशन-क्षेत्र में सक्रिय)

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक डॉ॰ गिरिराजशरण अग्रवाल द्वारा श्री लक्ष्मी ऑफसैट प्रिंटर्स, बिजनौर 246701 से मुद्रित एवं 16 साहित्य विहार, बिजनौर (उ॰प्र॰) से प्रकाशित। पंजीयन संख्या : UP HIN 2008/25034

संपादक : डॉ॰ गिरिराजशरण अग्रवाल

महिला सशक्तिकरण में पंचायतीराज व्यवस्था एवं कानूनों की भूमिका

सोमवीर
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर (राज॰)
प्रो॰ एस॰ एल॰ शर्मा
शोध निर्देशक, समाजशास्त्र विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर (राज॰)

सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की साझेदारी से है। महिलाओं का मनोबल इतना बड़ा होना चाहिए कि वे कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वयं की बुद्धि-विवेक का पूर्ण इस्तेमाल कर सकें अर्थात् निर्णय लेने की क्षमता ही सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। महिलाओं का सशक्तिकरण करना उन्हें क्षितिज दिखाने जैसा है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है–उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और प्रचलित तरीकों को चुनौती के समान अवसर–राजनीतिक एवं आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी–समान कार्य के लिए समान वेतन कानून के तहत सुरक्षा–प्रजनन का अधिकार आदि। महिला सशक्तिकरण की बात उठाते ही वास्तव में महिलाएँ कमजोर हैं–जो उनके सशक्तिकरण की आवश्यकता है? प्रगति ने तो उनको शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता वाला बनाया है और वो सृष्टि को जन्म देने जैसा अद्वितीय कार्य भी करती हैं–उनकी शक्ति संपन्नता के कारण भारतीय समाज में उसे देवी की संज्ञा से विभूषित किया गया है।

पुरुषों की तुलना में महिलाएँ सामूहिक सत्ता प्रतिष्ठानों में पीछे हैं। प्राय: देखा गया है कि महिलाओं के स्वतंत्र निर्णय को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता और उनके साथ दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। उनकी शक्ति पर संदेह करके उन्हें ऐसे अवसरों से वंचित किया जाता है–जहाँ वे अपनी क्षमता का पूर्ण प्रदर्शन कर सकती हैं। वर्तमान समाज के उचित विकास के लिए आँकड़ों व वास्तविकता में संतुलन आवश्यक है। इसी आवश्यकता ने समाज में महिला सशक्तिकरण जैसे शब्दों को जन्म दिया।

प्रारंभ में, परिवार के अंदर पुरुषों के लिए बाहरी कार्यों का महत्त्व ज्यादा था। अत: स्त्री के घरेलू कार्यों का पुरुष की दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं था। विकासक्रम में पनपी मानसिकता और सामाजिक ढाँचे के परिणामस्वरूप समाज में पितृसत्तामक व्यवस्था आज तक व्याप्त है। वर्तमान संदर्भों में वैश्वीकरण के युग में परिस्थिति बदल चुकी है। महिलाओं ने अनेक अवसरों पर अपनी शक्ति का अहसास कराया है। आज का समाज यह समझ चुका है कि विकास कार्यों में महिलाओं की सहभागिता के बिना वांछित लक्ष्य प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अत: वर्तमान में जरूरत है

 ISSN 0975-735X

कि महिलाओं को शक्तिसंपन्न बनाया जाए। फलतः समाज में महिला सशक्तिकरण प्रत्यय जन्म ले चुका है और अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना चुका है। परंतु यह सत्य है कि बिना पुरुष के सहयोग के महिला सशक्तिकरण लगभग असंभव है।

हमारे धर्म ग्रंथों, उपदेश ग्रंथों, नीति नियमों से संबंधित युक्तियों, धार्मिक संहिताओं में महिलाओं को जननी, देवी, अन्नपूर्णा, गृहलक्ष्मी जैसी महान उपाधियाँ दी गई हैं और हमारे ग्रंथों में वर्णित है–'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।' अर्थात् जहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं।

स्त्री जो कि शक्ति का प्रतीक है, देवी काली, दुर्गा के रूप में तथा रिश्तों में माता, बहन, पत्नी, बेटी के रूप में, महिलाएँ समाज के लिए नींव का कार्य करती हैं। परिवार में माता के रूप में, गृहणी के रूप में और परिवार में संस्कार, धर्म, परंपराओं, रिवाजों को सँजोए रखती हैं। परिवार को माला के मोतियों की तरह एक धागे में पिरोए रखती हैं। इतना होने के बाद भी आज तक नारी पुरुष के अधीन व परतंत्र है। विभिन्न रूपों में महिलाएँ प्राचीनकाल से आज भी अपने संस्कारों, परंपराओं की अदृश्य बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व महिलाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय बनी हुई थी। स्वाधीनता के पश्चात महिला कल्याण व महिला सशक्तिकरण को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पोषण मिला। महिलाओं के विकास के लिए विधायी उपाय, कल्याणकारी योजनाएँ तथा विकास कार्यक्रमों का संचालन किया गया। महिलाओं को अपने अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति सजग करने के लिए शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराए गए, जिससे महिलाओं में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की भावना जाग्रत हो सके।

महिला सशक्तिकरण में पंचायतीराज व्यवस्था

भारत में महिला सशक्तिकरण के प्राचीनकाल से लेकर अब तक अनेक प्रयास एवं आंदोलन हुए हैं। ऐसे तीन दौर आए, जब महिलाओं की अस्मिता को बड़े पैमाने पर मान्यता दी गई तथा उन्हें अपने बारे में निर्णय करने की स्वतंत्रता मिली।

पहला दौर था, बौद्ध धर्म के अविर्भाव का। बौद्ध धर्म ने न केवल जाति प्रथा का विरोध किया, वरन् स्त्रियों की स्वतंत्रता का भी सम्मान किया, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति एवं सम्मान में वृद्धि हुई। भक्तिकाल को दूसरा दौर माना जाता है, जब स्त्रियों के बंधन कुछ कमजोर हुए और उन्होंने अपने-आपको व्यक्त किया। इस बार भी अभिव्यक्ति का माध्यम धर्म ही था, पर उसकी विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से, जो पीड़ा सामने आ रही थी, वह लौकिक जीवन की ही पीड़ा थी। तीसरी बार भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लाखों महिलाओं को घर से बाहर आने और सार्वजनिक जीवन में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। गांधीजी के आह्वान पर प्रत्येक वर्ग की महिलाओं ने स्वतत्रंता आंदोलन में भागीदारी की और इस आंदोलन को व्यापक, समृद्ध एवं अखिल भारतीय स्वरूप दिया।

महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 20 अप्रैल 1993 की क्रांति का दायरा बहुत ही व्यापक है। इसी वर्ष पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई। स्त्री की स्वतंत्रता के पूर्ववर्ती प्रयास, माहौल में परिवर्तन और व्यक्तिगत निर्णयों तक सीमित थे। सामाजिक ढाँचे में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे स्त्रियों की हैसियत में संरचनात्मक सुधार हो। नतीजा यह हुआ कि माहौल बदलते ही 'पुनर्मूशकों भव' की स्थिति आ जाती थी। इसके विपरीत, लोकतांत्रिक भारत में जो

ऐतिहासिक प्रयोग किया गया, वह राजनीतिक तंत्र में परिवर्तन पर आधारित है तथा महिलाओं के लिए संस्थागत प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। लोकतंत्र की बुनियादी संकल्पना का विकास ही इस स्थापना को स्वीकार करने के साथ हुआ है कि इस व्यवस्था में लोक सहभाग का दायरा निचले या आधारभूत स्तर पर सर्वाधिक विस्तृत और मजबूत हो। सत्ता और व्यवस्था के गिने-चुने हाथों में केंद्रित हो जाने के खतरे को भाँपते हुए महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की दरकार पर जोर दिया था। पंचायतीराज इसी विकेंद्रित व्यवस्था का मूर्त रूप है।

राजनीतिक तंत्र में परिवर्तन का माध्यम बनी। पंचायतीराज की नई व्यवस्था, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई, उनका कार्यक्षेत्र परिभाषित किया गया, उनके संसाधनों के स्रोत निश्चित किए गए। इन्हें भारतीय राज्य का तीसरा संस्तरण कहा जाता है। ये संस्थाएँ नागरिक समाज एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित हुआ है कि तीनों स्तरों में पंचायतों की कम-से-कम एक-तिहाई सीटों और पदों पर महिलाएँ होंगी। यदि आरक्षण मात्र महिलाओं को दिया गया होता, तो ज्यादातर सवर्ण और संपन्न परिवारों की महिलाएँ ही पंचायतों में दिखाई देतीं। इसलिए सामान्य वर्ग में ही नहीं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर भी इन वर्गों की एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। इस पंचायत क्रांति को समाज के सभी वर्गों तक ले जाने की कोशिश हुई। यह पंचायतीराज व्यवस्था चार अवधारणाओं पर काम कर रही है–

(1) पंचायतीराज के माध्यम से लोग राजनीति में ज्यादा प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे।

(2) स्थानीय समुदाय को परिवर्तन वाहक बनाने और उनमें योजनागत चेतना फूँकने से आर्थिक परिवर्तन तेजी से और सक्षमता पूर्वक होगा।

(3) पंचायतों को शक्तियों का हस्तातंरण होने से सरकारी संस्थाओं सामुदायिक विकास केंद्रों, योजना समितियों को एक नई समाज व्यवस्था एवं नागरिक समाज के उन्नयन यानी एक सहकारी समाज के लिए रास्ता साफ होगा।

(4) आम जनता के ऐसे समान अनुभव के आधार पर राजनीतिक संगठनों की ऐसी प्रणाली राष्ट्रीय एकता की वाहक बनेगी।

सचमुच भारत में पंचायतीराज व्यवस्था की रचना प्राचीन एथेंस के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तर्ज पर की गई है। हालाँकि यह भी महत्त्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत में भी ऐसा ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र था और पंचायतीराज के सिद्धांत के पंच परमेश्वर की प्राचीन परपंरा से प्रेरणा ग्रहण की गई है। इसके पीछे है–स्थानीय स्वशासन। यह उसूल चार मान्य बुनियादी धारणाओं पर आधारित है–राजनीति में प्रत्येक वर्ग की जनता की भागीदारी, आर्थिक विकास के लिए संसाधनों को जुटाना, लोकतंत्र में बुनियादी संस्थाओं का समावेश करना और राष्ट्रीय एकता की गारंटी। इन पहलुओं में महिलाओं का एक खास महत्त्व है, क्योंकि जहाँ एक तरफ उनके प्रतिनिधित्व के अभाव में संपूर्ण लोकतांत्रिक संरचना अपूर्ण रहेगी तो दूसरी तरफ उनके सशक्तिकरण के अभाव में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। इसलिए महिलाओं को पंचायतों के माध्यमों से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी स्थिति में व्यापक बदलाव आया है।

पंचायत के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तिकरण की ही देन है कि पिछले सोलह वर्षों में देश के भीतर राजनीतिक बहसों में महिलाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है।

 ISSN 0975-735X

कई राज्यों में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं की उपस्थिति 33 प्रतिशत से भी अधिक है, जैसे कर्नाटक में 43 प्रतिशत, केरल में 39 प्रतिशत एवं पश्चिम बंगाल में 37 प्रतिशत। राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से शासन की गुणवत्ता में सुधार आया है। आर्थिक तथा जीविका से जुड़े मुद्दों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में भी इस त्रिस्तरीय व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण प्रभाव है, साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अधिक हो सकेगा, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएँ एवं आवश्यकताएँ उसी तरह की है।

पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में भी महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण के प्रावधान से संसद एवं राज्यों की विधायिकाओं में भी महिलाओं को आरक्षण देने का दवाब बढ़ता जा रहा है, और आशा है कि आने वाले दिनों में यह बदलाव देखने को मिले।

पंचायतों में महिलाओं की विगत सोलह वर्षों की भागीदारी से यह सिद्ध हो गया है कि जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक असंतुलन में सुधार तथा महिलाओं के हितों को प्रोत्साहित करने में वे सबसे प्रभावशाली एवं संवेदनशील माध्यम हैं। पंचायतों के माध्यम से समाज की जड़ता, धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों, कुशासन एवं भ्रष्टाचार के उन्मूलन में महिलाओं ने प्रतिकूल वातावरण में भी अच्छा काम किया है।

पंचायतीराज में महिलाओं की भागीदारी नागरिक समाज के उन्नयन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा आदि जैसे ज्वलंत एवं संवेदनशील मुद्दों, जिसका प्रत्यक्ष संबंध महिलाओं से है, के लिए सशक्त माध्यम है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण विकास एवं महिलाओं के विकास जैसे चिंतन का विकास हुआ और एक नई चेतना का सूत्रपात हुआ। उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज में महिलाओं की भागीदारी का प्रयोग देश के उन हिस्सों में ज्यादा सफल रहा है, जहाँ पहले से ही स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है अथवा जहाँ राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया। जहाँ सहयोग नहीं मिला, वहाँ महिलाएँ अपने वाजिब अधिकारों से आज भी महरूम हैं।

पंचायतों में चुने जाने के बाद भी महिलाएँ अपनी क्षमताओं का परिचय न दे सकें, इसके लिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा कई अनौपचारिक उपाय अपना लिए गए हैं। एक उपाय है, उन्हें नाममात्र का प्रतिनिधि बना देना। बहुत सी पंचायतों में पुरुष ही महिला के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। वे अपनी पत्नी या किसी अन्य महिला रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाते हैं और उसके जीत जाने पर पंचायत में उसके प्रतिनिधि के रूप में सारा काम-काज खुद करते हैं। दूसरा उपाय है—अविश्वास प्रस्ताव। कोई महिला सरपंच बहुत प्रभावशाली है, आत्मविश्वास से संपन्न है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पंचायतों से बेदखल कर दिया जाता है। तीसरा, दो बच्चों के नियम का सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को ही उठाना पड़ा है। सरपंच महिला खुद तय नहीं कर सकती है कि उसके तीसरा बच्चा होगा या नहीं। यह निर्णय उसका पति करता है लेकिन तीसरा बच्चा हो जाने पर सरपंच से हटाया जाता है, उसकी पत्नी को।

इसलिए महिलाओं के संपूर्ण एवं वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है, पंचायतों का सशक्तिकरण। क्योंकि कमजोर पंचायतें मजबूत महिलाओं को भी कमजोर बना सकती हैं। अधिकतर पंचायतों के पास अपना कोई राजस्व नहीं है। नीति निर्माण करने का प्रावधान नहीं है। न्याय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के विकेंद्रीकरण का सर्वथा अभाव है। इसलिए हमें पंचायतीराज को विकास के वाहक के रूप में देखने की बजाए विकास को ही पंचायतीराज के वाहक के रूप

में देखना चाहिए, तभी वास्तविक सशक्तिकरण हो सकेगा। हमें यह याद रखना होगा कि केवल ऊपर से नीचे सत्ता के हस्तातंरण से स्थानीय स्वशासन को अपने मूल रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र शासन की इकाई के आकार पर नहीं, वरन् शासन की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है। लोकतंत्र का मतलब स्थानीय भू-क्षेत्र को छोटी-छोटी मात्रा में सत्ता थमा देना नहीं होता, लोकतंत्र का स्वरूप वाला स्वशासन चाहिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चाहे वे पुरुष हों या महिलाएँ, अपना शासन स्वयं करें, जिसमें सत्ता का बहाव लंबवत् न होकर क्षैतिज हो यानी समुद्र की तरंगों की तरह। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आड़ में लोकतांत्रिक केंद्रवाद जैसा खतरा न पैदा हो।

ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण है, लेकिन जब ग्रामीण विकास में सीधे आर्थिक योगदान का सवाल उठता है तो महिलाओं के योगदान को काफी कम या नगण्य समझा जाता है। हालाँकि कृषि में श्रम-शक्ति का आधे से अधिक योगदान इन्हीं महिलाओं का होता है। अपनी भूमि के प्रति सचेत होने के बावजूद आज भी महिलाएँ आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित तथा उपेक्षित हैं। अत: महिलाओं को जागरूक बनाने और उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें ग्रामीण विकास के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। पंचायतीराज व्यवस्था के समर्थक शुरू से ही यह चाहते थे कि ग्रामीण महिलाएँ केवल एक लाभार्थी के रूप में जीवन न बिताएँ बल्कि ग्रामपंचायतों में सम्मिलित होकर प्रत्येक निर्णय में अपना योगदान करें।

इसी के तहत बलवंतराय मेहता कमेटी के इस सुझाव को कि महिलाओं को ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हो, शासन ने 73वाँ संविधान संशोधन किया और कम-से-कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया। इस समय देश में कुल पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या करीब 28-10 लाख है जिसमें 36-87 फीसदी ग्रामीण महिलाएँ ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय राजनीति में पदार्पण कर चुकी हैं। इन चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे महिलाओं को साक्षर बनाने, परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करने, बाल विकास में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तथा उन्हें समाज में सम्मानित स्तर दिलाने, सामाजिक कुरीतियों के निवारण और महिला उत्पीड़न तथा शोषण को सप्त करने के दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

भारत सरकार ने 27 अगस्त 2009 को ग्रामस्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कोटा 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पंचायतों के बाद 50: 50 की यह व्यवस्था नगर पालिकाओं में भी लागू हो जाएगी। यह दावा करना उपयुक्त न होगा कि 50 : 50 लागू हो जाने के बाद भारत के गाँवों में जेंडर समानता स्थापित हो जाएगी। बड़े परिवर्तन रातों रात नहीं होते, फिर असमानता के स्रोत अनेक हैं जिनमें से स्त्री होना सिर्फ एक है। आज भी पंचायतें ग्रामीण जीवन का आवश्यक हिस्सा नहीं बन पाई हैं। वे लोगों की जिंदगी के हाशिए पर हैं, लेकिन केंद्र ही हाशिए को हमेशा प्रभावित नहीं करता, हाशिया भी केंद्र को प्रभावित करता है।

पंचायतीराज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण हेतु सुझाव

पंचायतीराज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण हेतु सुझाव निम्नवत् हैं–

* महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए

 ISSN 0975-735X

पंचायतों को महिला उत्थान व महिला जागरण से संबंधित कार्यक्रमों एवं योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए।

* ग्रामसभा की बैठक के आयोजन की जानकारी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पंचायत प्रतिनिधि को दी जानी चाहिए।

* ग्रामस्तरीय योजना का निर्धारण ग्रामसभा के माध्यम से होना चाहिए तथा इसे एक योजना दस्तावेज के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए।

* पंचायतीराज के संदर्भ में एक राज्यस्तरीय सलाहकार समिति का गठन हो जिसमें पंचायतीराज मंत्री, पंचायतीराज विभाग के मुख्य अधिकारी तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हों तथा यह समिति वर्ष में कम-से-कम चार बार बैठकों का आयोजन करें तथा इसमें सभी प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से शामिल होकर पंचायतों में शामिल महिला प्रतिनिधियों के हित की योजनाएँ बनाएँ और उन्हें क्रियान्वित करें।

* विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्तावों को अंतिम माना जाए।

* महिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा पंचायत संबंधी कार्यों पर किए गए व्यय जैसे यात्रा व्यय आदि की प्रतिपूर्ति की जाए।

* चुनाव के दौरान कई बार स्थानीय गुटबंदी व राजनीति के चलते महिला पंचायत प्रतिनिधि असुरक्षित हो जाती हैं, अतएव उनकी सुरक्षा के पर्याप्त उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

* पंचायत प्रतिनिधियों विशेष रूप से ग्रामप्रधान के प्रतिदिन के कार्यों में शासकीय अधिकारियों का हस्तक्षेप एवं नियंत्रण बहुत अधिक होता है। इस हस्तक्षेप-नियंत्रण को मात्र जिलाधिकारी तक ही सीमित रखा जाए अर्थात् जिलाधिकारी से नीचे के अधिकारी उनके कार्यों में हस्तक्षेप न करें।

* पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत सचिव पंचायतकर्मी के कार्यों से संबंधित कम-से-कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए सुरक्षित किए जाएँ।

* त्रिस्तरीय पंचायतों में नियोजन की प्रक्रिया को 73वें संविधान संशोधन की मूल मंशा के अनुसार लागू किया जाए।

* जिला नियोजन समिति को सक्रिय बनाया जाए तथा कार्य नियोजन की प्रणाली ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक व्यवस्थित रूप से तय की जाए।

* ग्रामस्तर के संगठन जैसे महिला मंगलदल, युवक मंगलदल, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता समूह, सहकारिता समितियाँ तथा अन्य समितियाँ आदि ग्रामसभा की बैठक में यदि निरंतर रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण से भाग लेते हैं तथा ग्रामोत्थान हेतु आवश्यक कार्य करते हैं तो उन्हें पंचायत स्तर पर वर्ष में कम-से-कम एक बार सम्मानित-पुरस्कृत किया जाना चाहिए एवं उनके विकास कार्यों के लिए विशेष अनुदान देने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे और अधिक जोश-खरोश के साथ महिला उत्थान हेतु कार्य कर सकें तथा पंचायतीराज के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर सकें।

* महिला पंचायत प्रतिनिधियों की दक्षता, निपुणता एवं क्षमतावर्द्धन के लिए नियमित रूप से शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग की महिलाओं के शिक्षण प्रशिक्षण

हेतु विशेष पैकेज की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें भी अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं हेतु उनकी ग्रहण क्षमता का विकास करते हुए अनुकूल वातावरण में प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

* महिला पंचायत प्रतिनिधि के स्थान पर कार्य करने वाले पुरुष के लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए तथा ऐसी महिला प्रतिनिधि, जो इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं, उन्हें भी उनके पद से वंचित किए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

* अशिक्षित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को साक्षर बनाने के लिए शासन द्वारा विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए।

* जिन ग्राम पंचायतों में महिला-प्रधान हैं, वहाँ सचिव तथा कोषाध्यक्ष भी महिला ही नियुक्त होना चाहिए ताकि महिलाओं को कार्य करने में सुगमता हो।

* पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चयनित होने के तत्काल बाद, प्रधान और सदस्य प्रतिनिधियों के लिए नियमित रूप से एक वर्ष तक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें पंचायतीराज व्यवस्था के प्रत्येक पहलू की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके।

* मिल-जुलकर कार्यकलाप करने एवं सहयोग की भावना का विकास किया जाना चाहिए ताकि महिला पंचायत प्रतिनिधि एवं प्रशासन के विभिन्न तंत्र मिल-जुलकर गाँव की उन्नति हेतु कार्य कर सकें।

* पंचायतस्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, सामाजिक सुरक्षा आदि कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें महिला प्रतिनिधियों के नैसर्गिक संवेदनापूर्ण व्यवहार का विशेष योगदान हो सकता है।

* महिला एवं बालविकास से संबंधित अनेक समस्याओं को जनसहभागिता के द्वारा पंचायत में उठाया जाना चाहिए। चुनी हुई महिला प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की महिलाओं से संपर्क करके उनकी समस्याओं को समझे तथा उन समस्याओं को पंचायत की बैठक में उठाकर निर्णय लें, ताकि लोगों को अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके।

महिला पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका

सामाजिक कार्यकर्ता के लिए पंचायतीराज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण एवं पंचायत के प्रत्येक कार्य में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनमें जागरुकता पैदा करना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले इन महिला प्रतिनिधियों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के विषय में शिक्षित एवं जागरूक करना होगा। अनेक महिला संगठनों तथा सरकारी अभिकरणों के द्वारा महिलाओं को जागरूक बनाने में तथा चुनावों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम द्वारा पंचायत व्यवस्था के विषय में शिक्षा देना जरूरी है। इसके अलावा इन महिलाओं को विभिन्न विकास कार्यक्रमों की नीतियों और महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित विषयों से अवगत कराना भी जरूरी है।

73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को अधिकार संपन्न तो बना दिया गया है, परंतु उनकी अधिकारी संपन्नता के परिणाम तभी दिक्षाई देंगे, जब उन्हें ग्रामीण विकास तथा महिला विकास के प्रति जागरूक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। सरकार प्रशिक्षण के महत्त्व को ध्यान में रखकर इन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की समुचित व्यवस्था कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम पंचायतों में चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधियों के

लिए ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र लगाकर इन्हें विकास के विविध पहलुओं से भी परिचित करा सकता है। इन प्रशिक्षण केंद्रों में उनके अधिकार, कर्त्तव्यों तथा पंचायतीराज व्यवस्था की जानकारी देने में सुधार करना, नए कौशल सिखाना, उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाना और विकास की संभावनाओं के बारे में बेहतर जागरूकता पैदा करने में सामाजिक कार्यकर्ता समाजकार्य की विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग कर पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से महिला प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण करने में मदद कर सकता है, ताकि हमारी पंचायतों की महिला प्रतिनिधि देश का विकास करने में अपना सहयोग दे सकें।

इसके अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्ता पंचायतीराज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण हेतु निम्न प्रयास कर सकता है–

* महिला पंचायत प्रतिनिधियों को साक्षर एवं शिक्षित बनाना, ताकि उनकी वैचारिक समझ में बढ़ोत्तरी हो सके व उनकी जड़ मनोवृत्ति में परिवर्तन हो सके।

* महिला पंचायत प्रतिनिधियों को शासकीय नीतियों, उनके कर्त्तव्यों, अधिकारों के प्रति जागरूक करके।

* महिला पंचायत प्रतिनिधियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके, ताकि वे अपने गाँव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में अपना योगदान दे सके।

* महिला पंचायत प्रतिनिधियों को कानूनों की जानकारी देकर, ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास जाग्रत हो सके और वे विपत्ति की शिकार निराश्रित व बेसहारा पीड़ितजनों की मदद कर सकें और उनमें व्याप्त धार्मिक व सामाजिक अंधविश्वास दूर हो सके।

* प्रदर्शनी, कांफ्रेंस, सेमिनार, रोड शो आदि का आयोजन करके लोगों को जागरूक करके।

* प्रशासकीय सेवा को लागू करने में आ रही बाधाओं को दूर करके।

* महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु लघु-कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराकर, स्वयं सहायता समूह का गठन करके एवं उनके विकास में महिला प्रतिनिधियों की सहायता करके ताकि उनको बेहतर जीवन दशाएँ प्राप्त हो सके।

संदर्भ

1. डॉ॰ नीलिमा कुँवर एवं सीमा कनौजिया (1998) कुरुक्षेत्र, माह सितंबर, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. नीलिमा अग्रवाल, (2005) कुरुक्षेत्र माह नवंबर, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. सुरेंद्र कटारिया, (2005), कुरुक्षेत्र, माह नवंबर, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
4. जीतेंद्र कुमार पांडेय, (2006) कुरुक्षेत्र, माह अगस्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
5. निर्मल कुमार आनंद, (2007), कुरुक्षेत्र, माह मई, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
6. डॉ॰ आर॰वी॰ सिंह (2008), भारत में महिला सशक्तिकरण, श्री जी पब्लिशर्स, नई दिल्ली
7. हस्तक्षेप, पंचायतीराज-महिला सशक्तिकरण (2009), अंक 8 सितंबर, राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ

SHODHSAMHITA
शोधसंहिता
ISSN 2277-7067
UGC CARE Group 1

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का योगदान

सोमवीर
Extension Lecturer
राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय, नारनौल

सार –भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी तथा अधिकारों के लिए उनकेसंघर्ष का 'प्रथम चरण' 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में औपनिवेशिक शासन सेस्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष से प्रारम्भ होता है। महात्मा गाँधी द्वारा पोषित संघर्ष की पहली बुनियाद महिलाओं ने 'गृह शासन' (1916) के आंदोलन में भाग लेकर शुरूआत की। उन्होंनेबाद के असहयोग आन्दोलन, सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। इनआंदोलनों में जो महिलाएं अग्रणी रहीं हैं उनमें एनी बेसेंट (जो भारतीय राष्ट्रीयकांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा बनीं) जैसी यशस्वी महिलाएं थीं जिनके विषय में मार्गरेटकजन्स की सटीक टिप्पणी इस प्रकार है: 'भारतीय महिलाओं की चैतन्य एकताका प्रादुर्भाव'। अन्य महिलाएं जैसे सरोजनी नायडू, कमला देवीचट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर, अरूणा आसफ अली,दुर्गाबाई देशमुख इत्यादि ने स्वतंत्रता संग्राम में अधिक सक्रिय भूमिकानिभाई।

संकेत शब्द : आन्दोलन, महिलाएँ, सत्याग्रह, संवैधानिक, जागरूकता, चुनाव आयोग

1947 में भारत के आजाद होने पर तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने पर महिलाओं के मौलिक अधिकारों तथा संवैधानिक अधिकारों को वास्तविकत रूप से लागू करने की मांग उठने लगी। बाद में 1950 तथा 1960 के दशक में सभी धर्मों को बराबर महत्व देना तथा बहुलवादी, बहुधार्मिक तथा सांस्कृतिक आयाम के रूप में राजनीतिकव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। इस संवैधानिक गारंटी से महिलाऐं विशेषकर अधिकारों की सुरक्षा हुई तथा विभिन्न महिलाओं ने भारतीय सरकारी सेवाओं एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रवेश प्राप्त करने के समान अवसर मिले। सरकार ने स्वयं सहायता महिला समूहों की व्यवस्था की तथा महिलाओं के उत्थान के लिएअनेक कार्यक्रम योजनाएँ स्थापित की परन्तु ये 'समाज कल्याण' के परिप्रेक्ष्य से महिलाओं के पक्ष में स्थापित की गई थी। इसकारण इस अवधि में नारीवाद आंदोलन उतना सक्रिय नहीं रह पाया थातथा केन्द्र में एक ही पार्टी का शासन जो भारतीय राष्ट्रीयकांग्रेस दल के रूप में था, वह अपने वादों को संवैधानिक रूप से पूरा नहीं कर पाई। महिलाओं का मोहभंग तब हुआ जबसामान्य नागरिक सिविल कोड जो सभी महिलाओं को कानूनी समानता संवैधानिक रूप से

प्रदान करता, उसेलागू नहीं किया गया। उदाहरण के लिए हिन्दू कोड बिल पारितनहीं किया जा सका।

भारत में महिलाओं की प्रस्थिति सम्बन्धी समिति ने महिलाओं की राजनीतिक प्रस्थिति को, महिलाओं की शक्ति के निर्धारण और भागीदारी में प्राप्त समानताऔर स्वतंत्रता की मात्रा और उनकी इस भूमिका हेतु समाज द्वारा दिये गये महत्वके रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों कीप्रभावकारिता तथा उनके समानता के दर्जे की प्रस्थिति की परख के तीन मुख्य संकेतक प्रस्तुत किये हैं, जो निम्नलिखित हैं–

- राजनीतिक भागीदारी–महिला मतदाताओं के चुनाव में सक्रीय भागीदारी को बढ़ाना तथा मतदान के लिएआना तथा हर प्रकार के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि कर जागरूकता बढ़ाना।
- राजनीतिक पहल– राजनीति में भाग ले रही महिलाओं में जागरूकता,सोशल मीडिया, वचनबद्धता और अंतरग्रस्तता का स्तर, विशेषकर राजनीतिक कार्यवाहीऔर व्यवहार में उनकी स्वायतत्ता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।
- राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं का प्रभाव – राजनीतिक प्रक्रिया में स्वयंअपनी भूमिका और प्रभावकारिता के संबंध में महिलाओं के विचारों कामूल्यांकन और महिलाओं की इन नई भूमिकाओं के प्रति समाज का रवैया।

महिलाओंके राजनीतिक प्रतिनिधत्व एवं बाधाएँ –

कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि महिलाओं के आरक्षण के अन्तर्गत पिछड़ी, दलितऔर अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण मांगने की बात किसी तर्क कीकसौटी पर सही नहीं उतरती है। अगर संसद की स्थापना पर नजर डालें तो हमें ज्ञात होगा कि इस समय संसद में सबसे ज्यादा संख्या पिछड़ी जातियों केसांसदों की है। अगर महिला आरक्षण विधेयक के मौजूदा प्रारूप को स्वीकारकिया जाता है तो सहज ही एक–तिहाई महिलाओं को आरक्षण मिलने लगेगा औरऐसे में बहुसंख्यक पिछड़े समुदाय की भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व संसद मेंअपने–आप बढ़ जायेगा तथा वर्तमान में सभी राजनीतिक दलों को एक मत होकर महिलाओं के आरक्षण बिल को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर, अधिनियम लागू करना चाहिए।

पंचायती राज एवं महिलाएँ–

ऐतिहासिक रूप से पंचायतों में महिलाओं की भूमिका के विषय में कोईविशेष जानकारी नहीं है क्योंकि इनमें मुख्यतः पुरूषों का आधिपत्य था। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

करने वाली, बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायत राज व्यवस्था लागू की गयी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था व 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय शासन व्यवस्था में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है तथा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग 9–ए में संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया। वर्तमान में कई राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष –

औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 'महिलाओं कीवर्तमान शक्ति एवं प्रस्थिति की शर्त ही नहीं बल्कि सूचक भी है, तथा महिलाओं केअधिकारों एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक भी है।' महिलाओं केलिए निर्वाचन या राजनीतिक दलों, सामाजिक आंदोलनों या प्रदर्शनों जैसेऔपचारिक राजनीतिक कार्यकलापों में सिर्फ भाग लेना पर्याप्त नहीं है। अपितु महिलाओं को अपने राजनैतिक अधिकारों प्रति राजगरूक होना भी आवश्यक है। निर्वाचनप्रक्रिया, प्रशासन, कार्यपालिका, न्यायपालिका या स्थानीय सरकारी संस्थाओं मेंमहिलाओं की भागीदारी का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह सत्य नहीं हैकि महिलाएँ हमेशा अन्य महिलाओं की समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारकरेंगी।

17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है जो कि अब तक की सबसे अधिक संख्या है।हालाँकि वृहद् स्तर पर देखें तो यह संख्या अभी भी कम है क्योंकि यह आनुपातिक प्रतिनिधित्त्व के आस–पास भी नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका में यह आँकड़ा 32: है, जबकि पड़ोसी देश बांग्लादेश में 21: है।वर्ष 1962 से अभी तक लगभग 600 महिलाएँ सांसद के रूप में चुनी गई हैं। 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से लगभग आधे (48.4:) ने वर्ष 1962 के बाद किसी महिला को सांसद के रूप में नहीं चुना है।

चुनौतियाँ :

- महिलाओं को नीति निर्धारण में पर्याप्त प्रतिनिधित्त्व न मिलने के पीछे निरक्षरता भी एक बड़ा कारण है। अपने अधिकारों को लेकर पर्याप्त समझ न होने के कारण महिलाओं को अपने मूल और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है।
- शिक्षा, संसाधनों /संपत्ति का स्वामित्व और रोजमर्रा के काम में पक्षपाती दृष्टिकोण जैसे मामलों में होने वाली लैंगिक असमानताएँ महिला नेतृत्व के उभरने में बाधक बनती हैं।

- कार्यों और परिवार का दायित्व स्वरूप महिलाओं को राजनीति से दूर रखने में पुरुषों और महिलाओं के बीच घरेलू काम का असमान वितरण भी महत्त्वपूर्ण कारकों में से एक है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को परिवार में अधिक समय देना पड़ता है और घर तथा बच्चों की देखभाल का जिम्मा प्रायः महिलाओं को ही संभालना पड़ता है। बच्चों की आयु बढ़ने के साथ महिलाओं की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती हैं।
- राजनीति में रुचि का अभाव स्वरूप राजनीतिक नीति–निर्धारण में रुचि न होना भी महिलाओं को राजनीति में आने से रोकता है। इसमें राजनीतिक दलों की अंदरूनी गतिविधियाँ और इजाफा करती हैं। राजनीतिक दलों के आतंरिक ढाँचे में कम अनुपात के कारण भी महिलाओं को अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों की देखरेख के लिये संसाधन और समर्थन जुटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- इसके अलावा, महिलाओं पर थोपे गए सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व भी उन्हें राजनीति में आने से रोकते हैं।

सुझाव :

- भारत जैसे देश में राजनीतिक गतिविधियों की मुख्यधारा में महिलाओं को भागीदारी के समान अवसर मिलने चाहिये।
- महिलाओं को उन अवांछित बाध्यताओं से बाहर आने की पहल स्वयं करनी होगी जिनमें समाज ने जकड़ा हुआ है, जैसे कि महिलाओं को घर के भीतर रहकर काम करना चाहिये तथा पुरूष प्रधान व्यवस्था का विरोध करना चाहिए।
- राज्य, परिवारों तथा समुदायों के लिये यह बेहद महत्त्वपूर्ण है कि शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम करना, लैंगिक आधार पर किये जाने वाले कार्यों का पुनर्निधारण करना तथा श्रम में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने जैसी महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं का समुचित समाधान निकाला जाए।
- राज्य विधानसभाओं और संसदीय चुनावों में महिलाओं के लिये न्यूनतम प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिये इसे भारत निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार अनिवार्य करने की पहल करनी चाहिए।
- विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का आधार न केवल आरक्षण होना चाहिये, बल्कि इसके पीछे पहुँच और अवसर तथा संसाधनों का सामान वितरण उपलब्ध कराने के लिये लैंगिक समानता का माहौल भी होना चाहिये।

- निर्वाचन आयोग की अगुवाई में राजनीतिक दलों में महिला आरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये। हालाँकि इससे विधायिका में महिलाओं की संख्या तो सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, लेकिन जटिल असमानता को दूर करने में इससे मदद मिल सकती है।

सन्दर्भ सूची

1. महिलाएं तथा शासन राज्य की पुनर्कल्पना एक रिपोर्ट (एकत्र) सोसाइटीफॉर डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स फॉर विमेन, नई दिल्ली, 2002, पृ. 9.
2. राष्ट्रीय महिला आयोग, 2002, पृ. 281
3. राष्ट्रीय महिला आयोग, 2002, पृ. 283.
4. राज्य सभा में 1960–99 में सदस्यों का परिचय लार्डिस, सचिवालय केसंदर्भ विभाग द्वारा संकलित.
5. वृंदा करात, हिन्दुस्तान, 20 जुलाई, 2002, प्रकाशित दिल्ली.
6. भारत में पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता, राष्ट्रीय महिलाआयोग, 2001, पृ. 101.
7. डॉ. सरला गोपालन, जेन्डर एंड गवर्नेंस, महबूब उल हक मानव विकासकेन्द्र, दक्षिण एशिया में मानव विकास, 2000 के लिए तैयार पत्रक.
8. भारतीय चुनाव आयोग
9. द टाइम्स ऑफ इण्डिया, 10 अक्टूबर, 2010, पृ. 1.
10. भारतीय राजनीति : 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की स्थिति, द हिन्दू, 30 मई 2019